न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 92/2003, सी.सी.एम.एस.नं. 2013/2006

1. मोहम्मद पुत्र सुभान
2. मनक पुत्र सुभान
3. शाबुद्दीन पुत्र मल्लू
4. बाबुद्दीन पुत्र मल्लू

} जाति मुसलमान निवासी करौली तहसील सपोटरा जिला करौली हाल निवासी ट्रक यूनियन अखबार की हवेली के पीछे गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर।

अपी०

बनाम

1. चुन्ना पुत्र बोरया
2. इस्लामुद्दीन पुत्र बोरया
3. दीना पुत्र सुभान (मृतक) जाति तेली मुसलमान निवासी करौली तहसील सपोटरा जिला करौली हाल निवासी ट्रक यूनियन अखबार की हवेली के पीछे गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।
   - 3/1 करीबन बेवा दीना
   - 3/2 इस्माइल पुत्र दीना
   - 3/3 रसूल पुत्र दीना
   - 3/4 सलीम पुत्र दीना
4. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार सपोटरा राज०।

रेस्पो०

(अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर, सपोटरा मुकद० 295/90 निर्णय दिनांक 14.08.1991)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांट की ओर से श्री लियाकत अली
2. रेस्पोन्डेन्ट की ओर से श्री केशीचंद शर्मा

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:58:32 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 30.09.2021

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से ... राजस्थान ... अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम 1955) के तहत मुकदमा नम्बर 295/90 निर्णय व डिक्री दिनांक 14.08.1991 उनवानी चुन्ना वगै० बनाम दीना मोहम्मद वगै० के विरुद्ध पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में

Scanned with CamScanner

वादीगण ने दावा घोषणा खातेदारी इस आशय का पेश किया कि आराजी ख.नं. 281 रकबा 1 बीघा 13 विस्वा, ख.नं. 969 रकबा 4 बीघा 1 विस्वा, ख.नं. 970 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा, ख.नं. 971 रकबा 2 बीघा 1 विस्वा, ख.नं. 972 रकबा 1 विस्वा, ख.न. 973 रकबा 3 बीघा 16 विस्वा व ख.नं. 980 रकबा 14 विस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 13 बीघा 5 विस्वा वाके ग्राम नारौली वादीगण के बाबा घूड़या की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। दीगर किसी का इन आराजीयात से कोई संबंध नहीं है न कभी रहा है। प्रतिवादीगण चालक व्यक्ति है उन्होंने वादीगण व उसके पिता से छिपाकर पटवारी हल्का से साज करके उक्त आराजीयात का राजस्व रिकार्ड में वादीगण के साथ ही अपना नाम दर्ज करवा लिया था जिसकी वादीगण व उसके पिता को जानकारी नहीं थी। जिसकी जानकारी दिनांक 12.10.90 को पटवारी हल्का ने उक्त खातेदारी की नकल लेने पर मिली। प्रतिवादीगण को अपना नाम राजस्व रिकार्ड में वादीगण के साथ दर्ज कराने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण आज से करीब 15 साल पहले नारौली में रहे थे उसके बाद 15 साल से ही उनका कोई पता नहीं है और लापता है। वादीगण का ही उक्त आराजीयात पर 50 सालों से एडवर्सली एंव हौस्टाइली कब्जा है। दीगर किसी का कोई कब्जा भी नहीं रहा है। इसलिये प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में से हटवाया जाना आवश्यक है। अतः वादीगण को उक्त आराजीयात वाके ग्राम नारौली का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण के ही नाम उक्त आराजीयात की खातेदारी रखी जावें व दीगर प्रतिवादीगण का नाम हटाया जावें। इसी प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से रेस्पों./वादीगण द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पों./वादीगण का दावा स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. .अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पों0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि निर्णय व डिक्री दिनांक 14.08.1991 अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून रूहेदाद मिसिल है और विधि विरूद्ध है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित भूमि पक्षकारान की सहखातेदारी की भूमि है, जमाबंदी संवत् 2038–41 व इससे पूर्व व इसके बाद भी विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में रेस्पों. सं. 1 व 2 का 1/3 हिस्सा है। शेष 2/3 हिस्सा अपीलार्थी सं. 1 से 2, रेस्पों. सं. 3 व [illegible] सं. 3 व 4 के पिता मल्लू के नाम दर्ज है। उक्त आराजीयात [illegible] काश्त है एवं संयुक्त रूप से ही उक्त भूमि व [illegible] होते चले आ रहे है। रेस्पों. ने अपने दावे में दावें के 50 वर्ष पूर्व से भौर [illegible] व घूडया के समय से अपना कब्जा होना बेवुनियाद दर्ज किया है, इसका न तो कोई आधार हैं, न ही कोई भी इसमें सत्यता है। सत्यता यह है कि विवादित भूमि से हर वर्ष अब तक लगातार फसल में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:58:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हिस्सा अपी0 लेते आ रहे है। अपी0 व रेस्पों. आपस में चाचा–भाई हैं तथा अभी तक सभी सामाजिक कार्यो व अन्य कार्यो में समस्त परिवार सहित आते जाते है। इस कारण दावे में रेस्पों. का यह कथन बिल्कुल झूठा है कि "दावे के 15 वर्ष पूर्व से अपी0 का कोई अता पता नहीं है।" रेस्पों. को अपी0 का स्थायी पता पूरी तरह पता है एवं निवास पर आते जाते रहते भी है। जब अपी0 साबुद्दीन रेस्पों. से फसल का हिस्सा मांगने एवं इस फर्जी कार्यवाही का उलाहना देने गया तो उन्होंने कहा कि अब हम तुमको कोई हिस्सा नहीं देंगे, अब तक दिया जो दिया। अब जमीन हमारे नाम है, और तुमको पता चल चुका है, इस कारण अब तुम अदालत से ही हिस्सा लो, हम नहीं देंगे। रेस्पों. ने उक्त विवादित आराजी में अपनी खातेदारी एवं कब्जे में अपी0 सं. 1 ल0 2, रेस्पों. सं. 3 व अपी0 सं. 3 व 4 के पिता मल्लू का नाम गलत दर्ज होने पर कोई भी प्रमाण पेश नहीं किया, केवल रेस्पों. इमामुद्दीन से अपना बयान कराया है। नकल लेने पर पता चला कि रेस्पों. ने दावे में अपी0 का पता जानबूझकर नारौली गलत दर्ज कराया है तथा दावें में दीना व मौहम्मद दो व्यक्तियों को केवल एक ही व्यक्ति के रूप में लिखा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जो पेशी दिनांक 24.04.91 को जारी हुआ है वह भी दीनमौहम्मद अकेले व्यक्ति के नाम ही जारी हुआ है जिस पर तामिल कुलन्दा ने लिखा है कि दीनमौहम्मद गांव में नहीं रहता है जिसे बाद में दीन व मौहम्मद के बीच में संख्या 2 दर्ज कर दो व्यक्ति होना दर्शाने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार पेशी दिनांक 07.08.91 के लिए जोईन्ट नोटिस दीना, मौहम्मद, गवरू व मल्लू के नाम जारी किया गया है, जो कानून में जोईन्ट नोटिस का कोई प्रावधान नहीं होने से अवैध है, यही नहीं बल्कि मल्लू को दावें में नोटिस में यहां तक कि निर्णय में मन्नू दर्ज किया गया है। चूंकि पता गलत था इस कारण अपी0 को सूचना होने का कोई प्रश्न ही नहीं था। अधिनस्थ न्यायालय ने एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से गलत पते पर ही नोटिस जारी कराने के लिए बिना कोई पता दुरस्त कर अपी0 को जानकारी देने की बजाय फर्जी कार्यवाही करने के लिए प्रजाजन अखबार के जरिये सूचना निकालने का आदेश देकर प्रजाजन में छपाकर उसके आधार पर गलत रूप से इकतरफा कराकर अगली पेशी पर निर्णय ही करा लिया जबकि सही पते सूचना भिजवाकर अपी0 को सूचना देनी चाहिए थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही कानूनी रूप से नहीं कि गयी है। अपी0 द्वारा अपील पेश करने तक का समय क्षमा किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा परिसीमन अधिनियम 1963 स्वीकार फरमाया जावें। इस प्रकार उक्त निर्णय का ज्ञान अपीलार्थी को हो सका। अतः [illegible] अपील स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय [illegible] अपीलांट स्वीकार फरमायी जावें।

4. विद्धान रेस्पों0 के अभिभाषक ने उपरोक्त तर्को [illegible] प्रतिरोध करते हुए अपील बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि आराजी ख.नं. 281 रकबा 1 बीघा 13 विस्वा, ख.नं. 969 रकबा 4 बीघा 1 विस्वा, ख.नं. 970 रकबा 1 बीघा 4 विस्वा, ख.नं. 971

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:58:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रकबा 2 बीघा 1 विस्वा, ख.नं. 972 रकबा 1 विस्वा, ख.नं. 973 रकबा 3 बीघा 16 विस्वा व ख.नं. 980 रकबा 14 विस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 13 बीघा 5 विस्वा वाके ग्राम नारौली रेस्पों. की पैतृक कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। दीगर किसी का इन आराजीयात से कोई संबंध नहीं है न कभी रहा है। अपी0 चालक व्यक्ति है उन्होंने रेस्पों. व उसके पिता से छिपाकर पटवारी हल्का से साज करके उक्त आराजीयात का राजस्व रिकार्ड में रेस्पों. के साथ ही अपना नाम दर्ज करवा लिया था जिसकी रेस्पों. व उसके पिता को जानकारी नहीं थी जिसकी जानकारी दिनांक 12.10.90 को पटवारी हल्का ने उक्त खातेदारी की नकल लेने पर दी। अपी0 को अपना नाम राजस्व रिकार्ड में रेस्पों. के साथ दर्ज कराने का कोई अधिकार नहीं है। अपी0 आज से करीब 45 साल पहले नारौली में रहे थे उसके बाद 45 साल से ही उनका कोई पता नहीं है और लापता है। रेस्पों. का ही उक्त आराजीयात पर 80 सालों से एडवर्सली एंव हौस्टाइली कब्जा है। दीगर किसी का कोई कब्जा भी नहीं रहा है। इसलिये अपी0 का नाम राजस्व रिकार्ड में से हटवाया जाना आवश्यक हुआ। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो का विधि पूर्वक अध्यनन एवं मनन कर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अपी0 को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी होते हुए भी जानबूझ कर अपील देरी से पेश की है। परिसीमन अधिनियम की धारा–5 के बारे में कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम 1963 खारिज फरमाया जावे। अतः अपी0 की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अद्योपान्त अवलोकन किया गया।

6. प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 परिसीमन अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

7. राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी सम्बत् 2043–46 वाके ग्राम नारौली तहसील सपोटरा के खाता सं. 172 के अनुसार विवादित आराजी खनं 281,969,970,971,972,973 व 980 कुल किता 7 रकबा 13 बीघा 5 विस्वा जुम्मा इमामुद्दीन पि. भौरया 1/3 दीना मौहम्मद गवरू पि. सुभान 1/3 मल्लू पुत्र सुबराती 1/3 जाति मुसलमान तेली के नाम दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय वाद सं. 295/90 जुम्मा [illegible] दीना मौहम्मद वगै0 दायर करने के पश्चात् प्रतिवादीगण [illegible] प्रतिवादीगण के सम्मन् गांव में नही रहने के कार[illegible] अपील मीमों में सजरा खानदान दिया गया है इस सजरे से प्रकट ह[illegible] है कि पक्षकार पारिवारिक सदस्य है। पारिवारिक सदस्यों के रहने के बारे में सामान्यतया सभी को जानकारी होती है। पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेज नहीं है जिससे प्रकट होता हो कि सही पता प्राप्त करने की कोशिश की गयी है। दिनांक 26.06.91 को अखबार में सम्मन को प्रकाशित

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:58:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

करने व जरिये अखबार स्याहा तामील कराने के आदेश दिये गये है। दिनांक 12.07.91 को गंगापुर सिटी से प्रकाशित दैनिक प्रजाजन अखबार के पेज नं. 3 पर सम्मन प्रकाशित करवाया गया। अपील मीमों में अपीलार्थीगण द्वारा अपना पता गंगापुर दिया है। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाये तो दोनों जगहों की दूरी भी आपस में अधिक नहीं है। सपोटरा व गंगापुर तहसील की सीमायें आपस में लगती है व दोनों तहसील पूर्व में एक ही जिले में थी। एक ही पूर्वज की संताने होने के कारण उक्त परिस्थिति में प्रतिवादीगण के रहने का पता वादीगण को न हो, यह संदेह प्रकट करता है। विवादित आराजी सहकाश्तकारी की आराजी है। वाद में अपी0/प्रतिवादीगण द्वारा अपना पक्ष सूचना के अभाव में प्रस्तुत नहीं कर पायें, यह न्यायहित में नहीं है। वाद में निर्णय एकेपक्षीय किया गया है जिसमें यह बहुत सम्भव है कि अपी0 को समय पर सूचना नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिक दृष्टि से उचित नहीं है इसलिए पत्रावली प्रतिप्रेषित योग्य है। इसलिए अपील आंशिक स्वीकार योग्य है।

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर सपोटरा के मु0नं0 295/90, निर्णय व डिक्री दिनांक 14.08.1991 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर सपोटरा को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) कर निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिवत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर सपोटरा के यहां दिनांक 28.10.2021 को उपस्थित होवे।

9. निर्णय आज दिनांक 30.09.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

30.9.21

(बी0 एल0 रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.02.28 17:58:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner